इकाई 17 अधिकार और नागरिकता

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देष्य

17.1 परिचय

17.1.1 नागरिकता–संबंधी धारणा की उत्पत्ति

17.1.2 नागरिकता–विषयक धारणाओं का विकास : चार ऐतिहासिक काल

17.2 ऐतिहासिक घटनाक्रम : नागरिकता प्राचीन से आधुनिक युग तक

17.2.1 प्राचीन यूनान

17.2.2 प्राचीन रोम

17.2.3 उत्तर मध्यकालीन एवं पूर्व–आधुनिक काल

17.2.4 नागरिकता–संबंधी आधुनिक धारणाएँ : 19वीं व 20वीं सदी का घटनाक्रम

17.2.5 उदारवादी सामाजिक व्यवस्था का महत्त्व एवं सीमाबद्धता

17.2.6 नए प्रसंग एवं बदलते विषय : बहुसंस्कृतिवाद

17.3 वर्तमान नागरिकता सिद्धांत : विभाजक रेखाएँ

17.3.1 नागर–गणतंत्रवाद एवं उदारवादी परम्परा

17.3.2 विभाजक रेखाएँ : व्यक्ति बनाम समुदाय–विषेष

17.3.3 विभाजक रेखाएँ : कर्त्तव्य बनाम अधिकार

17.4 समीक्षाएँ और विकल्प : मार्क्सवादी, नारी–अधिकारवादी तथा गाँधीवादी

17.4.1 नागरिकता की पुनर्परिभाषा : उदारवादी नागरिकता–संबंधी मार्क्सवादी आलोचना

17.4.2 नारी–अधिकारवादियों की नागरिकता–संबंधी पुनर्परिभाषा

17.4.3 नागरिकता–संबंधी गाँधीवादी धारणा

17.5 सारांष

17.6 मुख्य शब्द

17.7 कुछ उपयोगी संदर्भ

17.8 बोध प्रष्नों के उत्तर

17.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में हम अधिकारों व नागरिकता संबंधी धारणा(ओं) का अध्ययन (अ) उनके ऐतिहासिक विकास और (ब) एक ऐसे क्षेत्र के रूप मे करेंगे, जहाँ विभिन्न परस्पर विरोधी विचार उनके रूप व तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए गए हैं। हम अधिकारों व नागरिकता संबंधी प्रमुख अर्थों की समालोचनाओं पर तथा इस प्रकार की समालोचनाओं द्वारा दिए गए वैकल्पिक अर्थों पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगे। जैसा कि आरम्भ में प्रस्तुत इकाई की संरचना दर्शाती है, प्रत्येक भाग एक विशिष्ट विषय को स्पष्ट करता है और तदोपरांत समझने में मदद के लिए प्रश्न रखता है। इकाई के अंत में कुछ मुख्य शब्दों की व्याख्या की गई है।

17.1 परिचय

नागरिकता को सामान्य तौर पर व्यक्ति – समूह व राज्य के बीच संबंध के संदर्भ में समझा जाता है। इस संबंध को पारस्परिक अधिकारों व दायित्वों के कुल के रूप में समझा जाता

है। नागरिकता की सर्वाधिक सामान्य रूप से मान्य परिभाषा अंग्रेज़ समाजशास्त्री टी. एच. मार्शल ने दी है, जो इसकी 'एक राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता', के रूप में व्याख्या करते हैं। नागरिकता इस परिभाषा के अनुसार, एक राजनीतिक समुदाय में सदस्यता को इंगित करती है, जो कि हमारे वर्तमान संदर्भ में राष्ट्र–राज्य ही है। नागरिकता, तदनुसार, उन लोगों के बीच संबंध के एक विशिष्ट पहलू को इंगित करेगी जो किसी राष्ट्र में एक साथ रहते हैं। यह किसी सांस्कृतिक/भावनात्मक पहचान की बजाय समुदाय के भीतर राजनीतिक अनुषक्तियों (allegiances) एवं नागर निष्ठाओं (civiclogalties) पर जोर देती है।

17.1.1 नागरिकता–संबंधी धारणा की उत्पत्ति

नागरिकता–संबंधी धारणा के उद्‌गमों का पता आमतौर पर प्राचीन यूनानी व रोमन गणतंत्रों में मिलता है। यह शब्द स्वयं लैटिन शब्द 'सिविस' (civis) तथा इसके ग्रीक समानार्थी 'पॅलिटीस' (polities) से पैदा हुआ है, जिसका अर्थ है पॉलिस (polis) अथवा शहर का सदस्य। हालाँकि, उस तरीके ने, जिसमें जन्म की परिस्थितियों से प्राप्त होने वाले आरोप्य विशेषाधिकारों (ascriptive privileges) के विरुद्ध समान अधिकारों की एक व्यवस्था के रूप में आज नागरिकता को समझा जाता है, फ्रांसीसी क्रांति (1789) में जड़ें पकड़ीं। पूँजीवाद एवं उदारवाद को विकास के साथ ही, अपनी जाति, वर्ग, प्रजाति, लिंग नृजाति आदि पर ध्यान दिए बगैर अधिकार धारण करने वाले एक व्यक्ति के रूप में नागरिक–संबंधी धारणा संस्थापित हो गई। उन्नीस सौ अस्सी के दशक से ही तथापि, भूमण्डलीकरण एवं बहुसंस्कृतिवाद ने ऐसे प्रसंग प्रदान किए हैं, जिनमें रहकर नागरिकता की धारणा को चुनौती दी गई है। इस प्रकार, अब राष्ट्र को सदस्यता की एक मात्र इकाई के रूप में नहीं देखा जाता और विश्व नागरिकता एवं मानवाधिकार संबंधी धारणाओं की उत्सुकतापूर्वक चर्चा होती है। इसी प्रकार, नागरिकता सिद्धांत के मर्म के रूप में व्यक्ति को हटा दिया गया है और सांस्कृतिक समुदायों व समूहों के अधिकारों ने स्थान लेना शुरू कर दिया है। तदनुसार, यह कहा जा सकता है कि नागरिकता–संबंधी धारणा अनेक ऐतिहासिक कालों से गुजरकर विकसित हुई है। इसका रूप और तात्पर्य एक ही नहीं रहे हैं, बल्कि विशिष्ट ऐतिहासिक प्रसंगों के अनुसार बदले हैं। विभिन्न रूप जो ऐतिहासिक रूप से नागरिकता ने धारण किए, हालाँकि, पूरी तरह लुप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने सिर्फ नागरिकता के आधुनिक अर्थों को ही प्रभावित नहीं किया है, वे नागरिकता को घेरे अर्थों के अम्बार के भीतर विभिन्न सूत्रों के रूप में भी विद्यमान हैं।

17.1.2 नागरिकता–विषयक धारणाओं का विकास : चार ऐतिहासिक काल

उन धारणाओं के विकास का श्रेय, जो नागरिकता से संबंधित हैं, चार मुख्य ऐतिहासिक कालों को दिया जा सकता हैः (अ) प्राचीन ग्रीको–रोमन काल (चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात्), (ब) परवर्ती मध्यकालीन एवं पूर्व–आधुनिक काल, जिनमें फ्रांसीसी एवं अमेरिकी क्रांतियों का काल शामिल है, (स) उदारवाद एवं पूँजीवाद के बढ़ते प्रभाव से संबंधित उन्नीसवीं सदी का घटनाक्रम और (द) बहुसंस्कृतिवाद व समुदाय अधिकारों के साथ बढ़ते पूर्वाधिकार को लेकर बीसवीं सदी उत्तरकाल में नागरिकता के रूप व तात्पर्य पर विवाद। अधिकारों व नागरिकता संबंधी दो प्रमुख सूत्र अथवा परम्पराएं इन कालावधियों में विकसित हुई मानी जा सकती हैं : (अ) नगर गणतंत्रवाद, जिसके अभिलक्षण थे – जन–कल्याण, जन–चेतना, राजनीतिक भागीदारी व नागर गुण संबंधी धारणाएँ, और (ब) उदारवादी नागरिकता, वैयक्तिक अधिकारों व निजी हितों पर जोर दिए जाने के साथ। मार्क्सवादियों व नारी–अधिकारवादियों दोनों ने ही इन परम्पराओं की आलोचना की है और नागरिकता

पर पुनर्विचार के उग्रवादी तरीके सुझाये हैं। गाँधीजी द्वारा उदारवादी – अनुभवाश्रित नागरिकता संबंधी आलोचना तथा अधिकार की बजाय कर्त्तव्य–बोध पर आधारित नागरिकता संबंधी उनका दृष्टिकोण नागरिकता विषयक एक दूसरी तरह की सोच को जन्म देते हैं।

आगामी भागों में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे : अधिकारों व नागरिकता संबंधी धारणाओं का ऐतिहासिक विकास, वे किंचित परिवर्तन जिनको कि बीसवीं सदी के उत्तरकाल के बदलते प्रसंगों ने आवश्यक कर दिया, नागरिकता व अधिकारों की प्रकृति व तात्पर्य विषयक सिद्धांतों के बीच विभाजन, तथा अन्ततः वे विकल्प जो अधिकारों व नागरिकता संबंधी प्रमुख सामाजिक व्यवस्था हेतु प्रस्तुत किए गए हैं।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिए इकाई का अंत देखें।

1) नागरिकता से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) नागरिकता–संबंधी धारणा के विकास में मुख्य सूत्र/परंपराएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17.2 ऐतिहासिक घटनाक्रम : नागरिकता प्राचीन से आधुनिक युग तक

इस भाग में हम देखेंगे कि नागरिकता की धारणा विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में किस प्रकार क्रम–विकसित हुई है।

17.2.1 प्राचीन यूनान

एथेन्स व स्पार्टा जैसे ग्रीक ग्रणतंत्र करीब से जुड़े, स्व–शासित राजनीतिक समुदाय थे जिनके लक्षण थे – कम जनसंख्या, न्यूनतम सामाजिक मतभेद एवं सरल राजनीतिक

संगठन जो मेल–जोल व आस्था की धारणाओं पर आधारित थे। ग्रीक गणतंत्रों अथवा और शहर–राज्यों में नागरिकता की धारणा सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के सिद्धांत पर आध ाारित थी। किसी व्यक्ति के राजनीतिक व सार्वजनिक पहलुओं को निजी व पारिवारिक पहलुओं की बनिस्पत अधिक महत्त्वपूर्ण के रूप में देखा जाता था। नागरिकता इसी कारण राजनीतिक व सार्वजनिक मामलों में सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करती थी। तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि शासन–प्रक्रिया में हर व्यक्ति भाग नहीं ले सकता था और हर व्यक्ति, इसी कारण, नागरिक भी नहीं था। अरस्तू ने यूनानी नागरिकों का चित्रण इन शब्दों में किया – 'वे सभी जो शासन–व्यवस्था के नागर जीवन में भाग लेते और बदले में शासित होते हैं'। यह भागीदारी सिर्फ उन्हीं तक सीमित थी जो शासन–प्रक्रिया में भाग देने की क्षमता रखते थे, यथा केवल 'स्वतंत्रता व नागरिकता संबंधी अधिकार विरासत में प्राप्त करने वाले मूल निवासी पुरुष' ही। तदनुसार, महिलाएँ, बच्चे, दास, व अन्य देशीय निवासी नागरिकता से वंचित रखे गए थे। आखिरी विश्लेषण में, इसी कारण, नागरिकगण जनसंख्या के मात्र एक छोटे से भाग का निर्माण करते थे।

17.2.2 प्राचीन रोम

रोमन परम्परा में सक्रिय भागीदारी के रूप में नागरिकता संबंधी ग्रीक धारणा को रोमन साम्राज्य की एकीकृत रखने संबंधी आवश्यकताओं द्वारा परिष्कृत (modify) किया गया। साम्राज्य में विजित लोगों (congured people) को समाविष्ट करने की आवश्यकता ने नागरिकता को एक कानूनी दर्जे के रूप में लिए जाने संबंधी विचार की ओर प्रवष्त किया। तदनुसार, एक वष्हत्तर और अधिक भिन्न जातीय अधिवासी–समुदाय को, उन्हें कानूनों की एक नियमानुवर्ती श्रृंखला की रक्षार्थ अधीन कर, रोमन साम्राज्य में एकीकृत कर लिया गया। महिलाओं व निकृष्टतम वर्गों (मुख्यतः ग्रामीण) को फिर भी नागरिकता के दर्जे से वंचित रखा गया। इस प्रकार, नागरिकता की कल्पना अब मुख्यतः कानूनों को बनाने व लागू करने में भागीदारी के रूप में ही नहीं (जैसा कि यूनानी परम्परा के उदाहरण में था), बल्कि कुछ अधिकारों व कानून की समान रक्षा समेत एक कानूनी दर्ज के रूप में भी की जा सकती थी। यह फिर भी कहा जा सकता है कि नागरिकता के इन नए तत्त्वों ने समाविष्टता (यथा, गैर–रोमनवासियों को रोम की नागरिकता दिए जाने को शामिल करने) की अवस्था को सम्भव बनाते समय 'मताधिकार रहित नागरिकता' (कानूनी परन्तु राजनीतिक अधिकार नहीं – 'Civitas sine suffragio') वाली दूसरा–दर्जा श्रेणी शुरू करते हुए दर्जे का एक पदानुक्रम भी जोड़ दिया।

17.2.3 उत्तर–मध्यकालीन एवं पूर्व–आधुनिक काल

*प्र*शासन के मापक्रम में वृद्धि (शहर–राज्य जैसे कि साम्राज्य से भिन्न) ने भी यह अभिप्राय दर्शाया कि सभी जो नागरिकों का दर्जा रखते थे, के लिए यह संभव नहीं था कि शासन–संबंधी कार्यव्यापार में भाग ले सकें। एक नागरिक के लक्षण, बहरहाल, इस तरीके से सूचित किए जाते रहे कि नागरिकता सक्रियता को इंगित करे। नागरिकों से तदनुसार अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने में 'नागर गुण' (civic virtue) वाली विशेषताएँ विकसित करें। उक्त शब्द लैटिन शब्द 'वर्च्यु (virtu) से निकला, जिसका तात्पर्य सामरिक कर्त्तव्य–पालन, देशभक्ति, एवं कर्त्तव्य व कानून के प्रति समपर्ण के भाव में 'पौरुष' से लिया गया।

सोलहवीं सदी के निरंकुश राज्य भी भिन्न जातीय अधिवासी–समूहों पर अपनी सत्ता थोपे जाने से संबंध रखते थे। इस संदर्भ में ज़ाँ बोदां द्वारा एक नागरिक को इस प्रकार परिभाषित किया गया – 'वह व्यक्ति जो प्राधिकार संबंधी सर्वमान्य स्वतंत्रता व संरक्षण का उपभोग करता है।' इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत ये नागरिक यूनानी नागरिकों से भिन्न थे, स्वयं कोई

प्राधिकृत व्यक्ति नहीं, बल्कि रोमन परम्परा को निभाते हुए ऐसे किसी व्यक्ति के जो राय–संरक्षण के अन्तर्गत हो। यूनानी व रोमन परम्पराओं से भिन्न, फिर भी, नागरिकता एक निष्क्रिय विचार था। इस काल में नागरिकता का अर्थ सामान्य (साझा) जन–दायित्व एवं नागर–गुण नहीं था। इसकी बजाय, 'सामान्य (साझा) स्वतंत्रता' नागरिकता का मुख्य विषय बन गया था। इस विषय में नागरिकता संबंधी एक 'निष्क्रिय' अथवा 'नकारी' धारणा शामिल थी। यह 'सुरक्षा' अथवा संरक्षण हेतु माँग करती थी, जो कि अधिकार वर्ग द्वारा प्रदान की जानी होती थी। जिसको संरक्षण की आवश्यकता थी, वो व्यक्ति का भौतिक जीवन (यथा, हॉब्स के अनुसार), परिवार व घर (यथा, बोदें व मॉन्तैस्क्यु के अनुसार) अथवा धर्मज्ञान व संपत्ति (यथा, लॉक के अनुसार)। 'सामान्य साझा स्वतंत्रता' 'वाले इस सिद्धांत ने तदनुसार व्यक्ति व उसके निजी – पारिवारिक संसार की प्रमुखता को सिद्ध किया। प्राधिकार संरक्षण की आवश्यकता मुख्यतः इसी निजी संसार – क्षेत्राधिकार को संरक्षित करने के लिए था। नागरिक, इस प्रकार, राजनीतिक लोग नहीं थे, उनके जीवन का मुख्य मर्म राजनीतिक समुदाय नहीं था, बल्कि इसकी बजाय दूसरी सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें हर नागरिक निजी आनन्दों की स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता के कार्य तथा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, उस निजी – पारिवारिक अधिकारक्षेत्र के संरक्षण व सुरक्षा का उपभोग करता था, जिसमें ये आनन्द अनुभव किए जाते थे।

इस प्रकार, साम्राज्यीय समाविष्टता संबंधी सिद्धांत इस रूप में देखा जा सकता है कि उसने इस काल में एक कानूनी दर्जे के रूप में नागरिकता संबंधी एक निष्क्रिय धारणा को सामने रखा। समीप ही, बहरहाल, नागर–गुण एवं सार्वजनिक दायित्व पर जोर देने वाली सक्रियता रूपी नागरिकता संबंधी अतीत की याद अथवा प्राचीन धारणा हेतु एक ललक बनी ही रही।

फ्रांसीसी क्रांति (1789) को उत्तर–मध्यकाल व पूर्व–आधुनिक युग की निष्क्रिय नागरिकता के खिलाफ एक विद्रोह माना जा सकता है। इस क्रांति ने राजतंत्रीय/साम्राज्यीय राज्य के दावों के खिलाफ सक्रिय भागीदारी के आदर्शों को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया। नागरिकों के अराजनैतिक/निष्क्रिय जीवन को बदल देने के प्रयास के अलावा, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परम्परा ने नागरिकता में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व शामिल किया, जिसने उस रीति को बदल डाला जिसके तहत अधिकार नागरिकता की धारणा में समाविष्ट किए गए थे।

'प्राप्तवयस्कों व नागरिकों के अधिकारों की घोषणा' (The Declaration of the Rights of Men and Citizens) जो कि क्रांति के आलोक में हुई, ने नागरिक का अभिप्राय इस रूप में घोषित किया – एक 'स्वतंत्र और स्वायत्त व्यक्ति' जो दूसरों के समान ही अधिकारों का उपभोग करे और निर्णयन् में भागीदारी निभाये, जिसका पालन करने को सभी सहमत हुए। ऊँची जात के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त क्रम–परम्परागत (असमान) विशेषाधिकारों के विरुद्ध समतल (समान) अधिकारों की एक व्यवस्था के रूप में जिस प्रकार आज नागरिकता को समझा जाता है, उसकी जड़ें फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों में ही पायी जाती हैं। उक्त घोषणा पर ज़ाँ ज़ैक रूसो (1712–78) के विचारों का प्रभाव था, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, (1762) में न सिर्फ 'स्वतंत्र' व स्वायत्त' नागरिक तथा निर्णयन् में दूसरों के साथ समान रूप से भाग लेने हेतु उसके अधिकार के विषय में ही लिखा, बल्कि निजी हितों से ऊपर जन–कल्याण की प्रमुखता को भी सिद्ध किया। इस प्रकार, फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रभावित नागरिकता की अवधारणा ने आधुनिक उदारवादी व्यक्तिवाद के सूत्र नागर–भागीदारी के रूप में नागरिकता के प्राचीन सम्पष्क्तार्थ से जोड़े।

17.2.4 नागरिकता संबंधी आधुनिक धारणाएँ : 19वीं व 20वीं सदी का घटनाक्रम

उन्नीसवीं सदी में उदारवाद के बढ़ते प्रभाव और पूँजीवादी बाज़ार संबंधों के विकास के साथ ही, हालाँकि नागरिकता संबंधी प्राचीन गणतंत्रवादी समझ पष्ठभूमि की ओर पहुँचती देखी गई। निजी हितों को संरक्षण व प्रोत्साहन देने हेतु कुछ अधिकारों को धारण करते – उपभोग करते व्यक्ति के रूप में नागरिकगण संबंधी उदारवादी धारणा को वरीयता मिल गई। कानूनी दर्जे के रूप में नागरिकता, जिसने नागरिक को राज्य–हस्तक्षेप से बचाव सुनिश्चित करते कुछ अधिकार प्रदान किए, राज्य व राजनीति संबंधी उदारवादी समझ से अभिन्न थी।

यहाँ ब्रिटेन में नागरिकता के विकास संबंधी टी. एच. मार्शल के विवरण पर विचार–विमर्श करना उचित होगा, जैसा कि 1950 में प्रकाशित उनकी प्रभावशाली पुस्तक *सिटीज़नशिप एण्ड सोशल क्लास* में दिया गया है। इस पुस्तक में मार्शल पूँजीवाद के साथ नागरिकता के विकास तथा विवाद व मिली–भगत, जो नागरिकता उसके साथ करती है, के विशिष्ट संबंध का विश्लेषण करते हैं। पूँजीवादी समाज के एक पहलू, सामाजिक वर्ग की समानता के विरुद्ध समानता–प्रसार प्रक्रिया के रूप में वह एक 250 वर्ष की अवधि में आद्योपांत नागरिकता के विकास का वर्णन करते हैं। मार्शल अधिकारों के तीन सूत्रों अथवा पोटलियों की पहचान करते हैं, जिसमें शामिल हैं – नागरिक–संबंधी, राजनीतिक तथा सामाजिक। मार्शल के अनुसार, इन तीनों सूत्रों में से प्रत्येक एक भिन्न इतिहास रखता है और हर एक सूत्र का इतिहास एक विशिष्ट शताब्दी से जुड़ा है। नागरिक अधिकार जो अठारहवीं सदी में विकसित हुए, मार्शल द्वारा, 'वैयक्तिक स्वतंत्रता हेतु आवश्यक अधिकारों' के रूप में परिभाषित किए गए हैं। ये इस अर्थ में 'नकारी' अधिकार थे कि वे सरकारी सत्ता–प्रयोग को सीमित अथवा नियोजित करते थे और इनमें शामिल थे – भाषण आंदोलन, धर्म ज्ञान संबंधी स्वतंत्रताएँ, कनून के समक्ष समानता का अधिकार और सम्पत्ति रखने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार, नामतः वोट देने का अधिकार, चुनावों हेतु खड़े होने का अधिकार और सरकारी पद धारण करने का अधिकार, आमतौर पर उन्नीसवीं सदी में विकसित हुए और व्यक्ति को समुदाय के राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। सामाजिक अधिकार, जो व्यापकतः एक बीसवीं सदी की चीज़ थी, ने व्यक्ति को एक न्यूनतम आर्थिक/सामाजिक दर्जे की गारण्टी दी और नागरिक व राजनैतिक, दोनों ही अधिकारों के प्रयोग का आधार प्रदान किया। मार्शल कहते हैं कि सामाजिक अधिकार 'समाज में प्रचलित मानदण्डों के अनुसार एक सभ्य मनुष्य का जीवन जीने हेतु' 'सकारी' अधिकार हैं'। जीवन के ये मानदण्ड एवं समाज का सामाजिक उत्तराधिकार समाज–सेवाओं (कल्याणकारी राज्य) तथा शिक्षा–व्यवस्था के रूप मे राज्य द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से ही लोकार्पित किए जाते हैं।

अठारहवीं सदी से इंग्लैण्ड में अधिकारों के ऐतिहासिक विकास संबंधी मार्शल की योजना को बहरहाल अन्य समाजों के लिए सत्य नहीं माना जा सकता। नागरिक अधिकार, उदाहरण के लिए, पूर्व–उन्नीसवीं सदीं तक अधिकांश यूरोपीय देशों में पूरी तरह लागू नहीं किए गए थे। जहाँ कहीं भी वे आमतौर पर प्राप्त हुए थे, कुछ समूहों की उपेक्षा की गई थी। इस प्रकार, यद्यपि संविधान द्वारा इस प्रकार के अधिकार अधिकांश यूरोपियन राज्यों को सौंपे जाने से काफी पहले से ही अमेरिकियों को दिए जा चुके थे, अश्वेतों को उनसे वंचित रखा गया। गृह–युद्ध (Civil War) बाद भी, जब अश्वेतों को औपचारिकतः ये अधिकार दिए गए, वे उन्हें प्रयोग करने में समर्थ नहीं थे। अधिकारों से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के उपनिवेशित लोगों को वंचित रखा गया। बीसवीं सदी के पहले

चतुर्थांश तक अधिकांश देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिनमें इंग्लैण्ड शामिल था।

नागरिकता–संबंधी आधुनिक धारणा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, स्वतंत्र व समान नागरिक नियुक्त करने का प्रयास करती है। यह स्वतंत्रता व समानता, जो आधुनिक नागरिकता में निहित होती हैं, आरोप्य असमानताओं व भिन्नताओं (संस्कृति, जाति, लिंग, प्रजाति, आदि संबंधी) को दूर करके प्राप्त करने का प्रयास करती है। तदनुसार, नागरिकों को अन्य नागरिकों के समान ही अधिकार धारण करने व प्रयोग करने वालों के रूप में समझा जाता है। समानता संबंधी शर्तें, यथा वे शर्तें जिनके तहत नागरिकगण समान रूप से अपने अधिकारों के प्रयोग में समर्थ होते हैं, नागरिकता–अधिकारों के प्रयोग हेतु अनुपयुक्त असमानता, यथा प्रजाति, नृजाति, लिंग, जाति, आदि, संबंधी ब्यौरे तैयार करके सुनिश्चित की जाती हैं। नागरिक ही, इस प्रकार, वह अधिकार–धारक व्यक्ति होता है जिसकी जाति, प्रजाति, लिंग, नृजाति आदि को नागरिकता के दर्जे से असम्बद्ध के रूप में देखा जाता है। इस तरीके से देखे जाने पर नागरिकता एक अति वशवर्ती (overarching) पहचान बनाती है, जो अन्य सभी पहचानों को गुप्त रखती है ताकि उनको उत्पन्न किया जा सके जिन्हें राष्ट्र के छिपे/अनदेखे (और इसीलिए) 'समान' नागरिक कहा जाता है। बीसवीं सदी के अधिकतर वर्षों में अधिकांश उदारवादी सिद्धांत में निजी हितों के पीछे पड़े वैयक्तिक अधिकार–धारक नागरिक के पक्ष में पूर्व–प्रवृत्ति बनी ही रही। नागरिकता–संबंधी धारणा की, जैसा कि इस (उदारवादी) व्यवस्था में वर्णित है, विशिष्ट महत्त्व के साथ–साथ कुछ प्रत्यक्ष सीमाएँ भी हैं।

17.2.5 उदारवादी सामाजिक व्यवस्था का महत्त्व एवं सीमाबद्धता

सामाजिक प्राधार के अन्तर्गत आधुनिक नागरिकता के सामान्यकरण का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और कोई भी समुदाय कानून विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इस रूप में समझे जाने पर, नागरिकता एक अंतर्भूत (inclusive) श्रेणी है। वह स्वतंत्र व समान नागरिकों को उत्पन्न करने के लिए सभी विभिन्नताओं (प्रजाति, वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, आदि संबंधी) को अप्रासंगिक मानती है।

सीमाबद्धता

भिन्नताओं से असंबद्ध सामाजिक प्राधारों में नागरिकता के प्रावधान का असल में अर्थ वास्तविक रूप से विद्यमान असमानताओं को नज़रअंदाज करना हो सकता है। तदनुसार, जबकि औपचारिक कानूनी समानता उदारवादी सामाजिक व्यवस्था द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, यह समानता स्वयं को तब तक सार्थक समानता में परिणत करने वाली नहीं है, जब तक कि नागरिकता द्वारा प्रदत्त अधिकारों अथवा कानूनी क्षमताओं के प्रयोग हेतु व्यावहारिक योग्यता यथार्थ रूप में सभी को उपलब्ध न हो। दूसरे शब्दों में, उदारवादी व्यवस्था इस तथ्य को तरजीह नहीं देती कि वे जो असमानता के विद्यमान प्राधारों, नामतः वर्ग, जाति, प्रजाति, लिंग आदि द्वारा अलाभांवित हैं, नागरिकों के समुदाय में एक समान आधार पर भागीदार करने में असमर्थ हैं, इस तथ्य के बावजूद कि नागरिकों के रूप में समुदाय के (समान) वैध सदस्य हैं।

17.2.6 नए प्रसंग एवं बदलते विषय : बहुसंस्कृतिवाद

बीसवीं सदी के अधिकांश वर्षों तक नागरिकता संबंधी प्रमुख समझ द्वारा उसके केंद्र में व्यक्ति को रखना जारी रहा, और नागरिकता को एक ऐसे कानूनी दर्जे के रूप में देखा जाता था जो उन अधिकारों के धारण का संकेत करता था जो एक व्यक्ति दूसरों के साथ

समान रूप से रखता था। नागरिकता संबंधी यह प्रमुख उदारवादी प्रतिमान, जैसा कि ऊपर देखा गया, कुछ व्यवहारिक सीमाएँ रखता है। नागरिकता व अधिकारों पर समकालिक बहसों में इस धारणा पर संदेह व्यक्त किया गया कि (व्यैक्तिक) नागरिक उन प्रसंगों/परिस्थितियों से स्वतंत्र रहकर अधिकारों का उपभोग कर सकता है जिनमें उसने जन्म लिया हो, यथा, वर्ग, प्रजाति, नष्जाति, लिंग आदि। उन्नीस सौ अस्सी के दशक से ही बहुसंस्कृतिवाद, बहुवाद, अनेकता व भिन्नता नागरिकता विषयक सोच में महत्त्वपूर्ण संदर्भ शब्द बन गए हैं। जबकि आधुनिक समाज उत्तरोत्तर बहुसांस्कृतिक के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं नागरिकता संबंधी प्रमुख उदारवादी के समझ बहस के लिए ध्यान में लायी जा रही है। नागरिकों के विशिष्ट प्रसंग, सांस्कृतिक, धार्मिक, नष्जातीय, भाषायी, आदि को अब महत्त्वपूर्ण तरीकों से नागरिकता निर्धारित करने के रूप में देखा जाता है। इस चल रही प्रतिद्वंद्विता का उद्देश्य है, उन भिन्नताओं को प्रकट करना जिन्हें उदारवादी सिद्धांत ने नागरिकता को समझने के लिए अप्रासंगिक के रूप में लिया। अधिकांश पश्चिमी समाजों में नष्जातीय, धार्मिक व प्रजातीय समुदायों ने उन अधिकारों के लिए दबाव दिया है, जो उनके विशेष सांस्कृतिक प्रसंगों को देखें और नागरिकता संबंधी औपचारिक समानता को मजबूती प्रदान करें। विभेदकारी नागरिकता संबंधी एक धारणा को इसी कारण नागरिकता सिद्धांत के तहत लोकप्रियता मिली है, ताकि वह विशिष्ट सांस्कृतिक समुदायों की आवश्यकताओं को संमजित कर सके। 'पृथक्त नागरिकता' शब्द सर्वप्रथम आइरिस मैरिओं यूङग द्वारा 1989 में प्रयोग किया गया। इसने न सिर्फ व्यक्तियों के रूप में, बल्कि उन समुदायों के रूप में भी कुछ (सांस्कृतिक) समूहों के सदस्यों को समाविष्ट करने की वकालत की, जहाँ उनके अधिकार उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करती इस समुदाय की सदस्यता पर अंशतः निर्भर थे। (आइरिस मैरिओं यूङग, 'पॉलिटि एण्ड ग्रुप डिफरॅन्सः ए क्रिटीक ऑफ़ दि आइडियल ऑफ यूनिवर्सल सिटीज़नशिप', एथिक्स, 99, 1989)

बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिए इकाई का अंत देखें।

1) वे मुख्य ऐतिहासिक काल कौन–से हैं जिनमें नागरिकता की धारणा को विकसित रूप में देखा जा सकता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) नागरिकता–संबंधी आधुनिक धारणा के मुख्य लक्षण क्या हैं? इसकी सीमाएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17.3 वर्तमान नागरिकता सिद्धांत : विभाजक रेखाएँ

उन्नीस सौ अस्सी के दशक से ही, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, अधिकारधारक व्यक्ति को नागरिकता सिद्धांत के केन्द्र से हटाये जाने के प्रयास किये जा रहे थे। वैयक्तिक अधिकारों संबंधी धारणा सांस्कृतिक समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष अधिकारों हेतु उनके दावों द्वारा प्रतिसंतुलित की जा रही है। नागरिकता सिद्धांत में अधिकारों की केन्द्रिकता पर भी कुछ प्रांतों में प्रश्न किया गया है और वैयक्तिक/निजी हितों से ऊपर जन–कल्याण व नागर–कर्त्तव्यों की प्रधानता पर अपने दबाव के साथ नागरिकता की गणतंत्रीय परम्परा में फिर से रुचि जागती लगती है। हम इस भाग में नागरिकता की प्रकृति विषयक दो विवादों पर विचार करेंगे।

17.3.1 नागर–गणतंत्रवाद एवं उदारवादी परंपरा

उससे पहले वैसे हम वह याद करें जो हमने नागरिकता सिद्धांत में दो मुख्य सूत्रों के विषय में पिछले भागों में पढ़ा कि किस प्रकार वे अपने ऐतिहासिक क्रम–विकास में उभरे, नामतः प्राचीन परम्परा अथवा नागर–गणतंत्रवाद और आधुनिक उदारवादी परम्परा। वर्तमान नागरिकता सिद्धांत में विभाजक रेखाएँ, वस्तुतः नागरिकता संबंधी इन्हीं दो परम्पराओं से उभरती है, जिनमें से प्रत्येक इस बात के लिए कि नागरिक होने का क्या मतलब है, दो भिन्न अर्थ दर्शाती है।

प्रथम, यथा गणतंत्रीय परम्परा, नागरिकता का वर्णन एक उच्च पद, एक दायित्व, एक उद्धतता से लिये जाने वाले भार के रूप में करती है; दूसरी, यथा उदारवादी परम्परा, इसका वर्णन एक दर्ज़ा और हकदारी, निष्क्रिय रूप से उपभोग किए जाने वाले एक अधिकार अथवा अधिकार–शृंखला के रूप में करता है। पहला नागरिकता को मानव जीवन का केन्द्र बनाता है, दूसरा इसे अपना बाहरी ढाँचा बनाता है। प्रथम नागरिकों का एक सघन निकाय अपनाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं; दूसरा एक विविध और निर्बन्ध रूप से जुड़ा निकाय अपनाता है, जिसके सदस्य (अधिकतर) अन्यत्र प्रतिबद्ध होते हैं। पहले के अनुसार नागरिक ही प्रमुख राजनीतिक अभिकर्त्ता होता है; दूसरे के अनुसार कानून–निर्माण व प्रशासन किसी और का काम है, नागरिकों का काम असार्वजनिक होता है। शेष भाग में हम देखेंगे कि वर्तमान नागरिकता सिद्धांतों के बीच विवाद नागरिकता के रूप व वास्तविक अर्थ संबंधी अवधारणा में इन्हीं दो बुनियादी भिन्नताओं से उद्भूत होते हैं। (देखें

टेरेन्स बाल, जेम्स फार एवं रसल एल. हैन्सन सं., पॅलिटिकॅल इनोवेशन एण्ड कॉन्सेप्चुअल चेन्ज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1989 में माइकल वाल्ज़र, 'सिटिज़नशिप')

17.3.2 विभाजक रेखाएँ : व्यक्ति बनाम समुदाय–विशेष

वर्तमान नागरिकता सिद्धांतियों के बीच विभाजनों की एक श्रंष्खला को निम्न प्रश्न के साथ में देखा जा सकता है, नागरिकता का केन्द्र कौन अथवा क्या बनाता है – व्यक्ति अथवा वह व्यापक प्रसंग जिसका वह एक भाग है, यथा सांस्कृतिक (नष्जातीय, धार्मिक आदि) समुदाय। हमने देखा कि नागरिकता संबंधी उदारवादी (व्यक्तिवादी) धारणा फ्रांसीसी क्रांतिकारी परम्परा में एक सूत्र की मॉनिद उभरी और पूँजीवाद की वृद्धि के साथ दृढ़कृत हुई। उदारवादी परम्परा में नागरिक ही स्वतंत्र प्लवमान (आज़ाद मस्ती से चलता) व्यक्ति है, और नागरिकता एक कानूनी पदवी है जो उन दूसरे नागरिकों के साथ समान रूप से अधिकारों के उपभोग हेतु समर्थ करती है, जिनमें से प्रत्येक हालाँकि भिन्न व्यक्तिगत हितों के पीछे लगा रहता है। इस परिदष्श्य में अधिकार संबंधी एक समान उपभोग हेतु व्यक्तियों के विशिष्ट संदर्भों को अप्रासंगिक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, यथा जन्म के कारकों, द्वारा निर्धारित उनकी विशेष परिस्थितियाँ, नामतः प्रजाति, जाति, संस्कृति, नष्जाति, लिंग आदि।

यह दृष्टिकोण समाजवादियों द्वारा पासंग (counterpoise) किया जाता है जो, नागर–गणतंत्रीय परम्परा में, निश्चयपूर्वक उस सीमा को निर्धारित करने में व्यक्तियों के संदर्भों का महत्त्व बताते हैं, जहाँ तक अधिकार दूसरों के साथ समान रूप से उपभोग किए जा सकें। ये सिद्धान्ती इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अधिकारों के आबंटन में ये भेद किए जाने की बजाय, नागरिकों की विभिन्न परिस्थितियों संबंधी विशेषरूपता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सिद्धान्तियों की बढ़ती संख्या, जिन्हें 'सांस्कृतिक बहुवादी' कहा जाता है, का दावा है कि बड़ी संख्या में नष्जातीय, धार्मिक व भाषाई समूह स्वयं को नागरिकता हेतु अधिकार से बहिष्कृत मानते हैं। ये समूह सिर्फ उसको अपनाकर ही सामान्य नागरिकता में समायोजित किए जा सकते हैं; जिसे आइरिस मैरिओं यूङग 'विभेदीकृत नागरिकता' कहते हैं, अर्थात् कुछ निश्चित समूहों के सदस्यों को न सिर्फ व्यक्तियों के रूप में ही बल्कि उस समूह–विशेष के माध्यम से भी समायोजित किया जाना चाहिए और उसके अधिकार अंशतः उनकी समूह–सदस्यता पर भी निर्भर करें। यूङग, सांस्कृतिक बहुवाद के सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्धांतियों में एक, निश्चयपूर्वक कहते हैं कि नागरिकता संबंधी एक सार्वभौम अवधारणा को जन्म देने का प्रयास जो समूह भिन्नताओं का सीमोल्लंघन करता हो, ऐतिहासिक रूप से दमित समुदायों के प्रति बुनियादी रूप से अनुचित है : एक ऐसे समाज में जहाँ कुछ समुदाय तो विशेषाधिकारप्राप्त हों जबकि अन्य दमित, इस बात पर ज़ोर देना कि नागरिकों के रूप में लोगों को अपने विशिष्ट संबंधन व अनुभव पीछे छोड़ देने चाहिए और एक आम दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इस परिप्रेक्ष्य में सिर्फ लाभान्वितों को ही प्रबलता प्रदान करने में सहायता करता है। साथ ही लाभांवितों के हित अन्य समुदायों के हितों को हाशिए पर धकेलते अथवा उनका मुंह बंद करते हुए इस एकरूप जनता पर अधिकार जमाना चाहते हैं'। (यूङग, 1989, पृ. 275)

17.3.3 विभाजक रेखाएँ : कर्तव्य बनाम अधिकार

विभाजनों की दूसरी श्रृंखला उन्हीं पद्धतियों का अनुसरण करती है जैसा कि पहली। यहाँ विवाद नागरिकता संबंधी पारिभाषिक आधार–वाक्यों के लिहाज से है, नामतः सार्वजनिक/राजनीतिक व नागर जीवन की प्रमुखता अथवा वैयक्तिक हितों व भिन्नताओं की प्रमुखता। 'नागर–गुण' और 'योग्य' नागरिकता संबंधी अवधारणा जो गणतंत्रीय परम्परा

का हिस्सा बनती हुए प्राचीन ग्रीको–रोमन विश्व में उभरी और तदोपरांत पुनर्जागरणवाद कालीन इटली एवं अठारहवीं सदी के अमेरिका व फ्रांस में फिर से उभरी, नागरिकता संबंधी उस धारणा का एक अभिन्न हिस्सा है जो नागर व जन–जीवन हेतु प्रमुखता प्रदान करता है। वे लोग जो इन धारणाओं को स्वीकार करते हैं, सक्रिय नागरिकता की धारणा को महत्त्व देते हैं। इस प्रकार के निरूपण में नागरिकता नागरिक कर्त्तव्यों, नागर–गतिविधियों, जनोत्साह व सक्रिय राजनीतिक भागीदारी की संघटक बन जाती है। जहाँ नागर–गणतंत्रवाद नागर–जीवन की ओर नागरिक कर्त्तव्यों के कठोर अनुपालन पर जोर देता है, उदारवादी धारणा वैयक्तिक हितों व भिन्नताओं को प्राथमिकता देती है और न्याय व अधिकारों हेतु नागरिकों की हकदारी पर जोर देती है। उनके अनुसार निजी जीवन की समृद्धि मुख्य महत्त्व रखती है और नागरिकता प्रमुखतः कुछ मौलिक अधिकारों की संघटक है। अधिकार इस प्रतिपादन में प्रमुख हैं और उनका उद्देश्य है आन्तरिक निजी संसार की रक्षा करना और विवादास्पद हितों के अतिक्रमण के बगैर निजी कार्यों व वैयक्तिक रचनात्मकता हेतु स्वतंत्रता प्रदान करना। यहाँ यह बात गौरतलब है कि नागर–गणतंत्रीय परम्परा में अधिकारों को उन शर्तों के रूप में आदर दिया जायेगा, जो राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी हेतु एक नागरिक के कर्त्तव्य–साधना का अनुसरण करती हों, न कि इसलिए कि वे पूर्व–शर्तें हैं। उन्नीस सौ अस्सी के दशक से ही यह मुद्दा उदारवाद व साम्यवाद के बीच बढ़ती बहस में उठाया जाता रहा है। साम्यवादी सिद्धांतियों, यथा एलिसड्यैर मैकइन्टर (1981) व माइकल सैंडेल (1982), 'भारग्रस्त निजी व्यक्तित्व' अथवा उदारवादी सिद्धांत के अप्रासंगीकृत व्यक्ति संबंधी धारणा को खारिज करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि 'अधिकारों की राजनीति' के स्थान पर एक 'निहित व्यक्तित्व' द्वारा 'जन–कल्याण की राजनीति' को आना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उदारवादी व्यक्तिवाद वैयक्तिक अधिकारों व हकदारियों पर ध्यान केन्द्रित कर उन बन्धनों को कमज़ोर करता है, जो समाज को संबद्धता प्रदान करते हैं।

बोध प्रश्न 3

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिए इकाई का अंत देखें।

1) नागरिकता सिद्धांत में मुख्य विभाजक रेखाएँ कौन–सी हैं और वे नगर–गणतंत्र व उदारवादी परंपराओं के बीच ऐतिहासिक विभाजन से किस प्रकार निकली हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17.4 समीक्षाएँ और विकल्प : मार्क्सवादी, नारी–अधिकारवादी तथा गाँधीवादी

एक पूर्व भाग (17.2) में नागरिकता–संबंधी आधुनिक उदारवादी धारणा पर चर्चा करते समय हमने इसकी सीमाबद्धता पर भी बात की थी। हमने मुख्यतः यह उल्लेख किया था

कि अधिकारों का प्रयोग करने की योग्यता अथवा वे कानूनी क्षमताएँ जो नागरिकता को अंगभूत करती हैं, सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। अन्य शब्दों में, इसके बावजूद कि नागरिक होने के आधार पर सभी व्यक्तियों को औपचारिकतः समान अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार असल में सभी लोगों द्वारा समान रूप से उपभोग नहीं किए जा सकते हैं। व्यक्तियों के विशिष्ट संदर्भ, उनके वर्ग, लिंग, उनके धार्मिक, नृजातीय व प्रजातीय पहचान आदि उस सीमा को प्रभावित करते हैं, जहाँ तक अधिकार वस्तुतः प्राप्य हैं। अधिकार–प्रयोग को निर्धारित करते संदर्भों को ध्यान में रखने संबंधी उदारवादी नागरिकता की यह अक्षमता ही है जो नागरिकता संबंधी मार्क्सवादी व नारी–अधिकारवादी समालोचनाओं का मुख्य केन्द्र रही है। आगामी अनुच्छेदों में हम उन दोषों पर नजर डालेंगे, जिन्हें मार्क्सवादी व नारी–अधिकारवादी जन नागरिकता संबंधी बुनियादी आधार–वाक्यों में देखते हैं। ये दोष, उनके अनुसार, नागरिकता को एक ऐसा जटिल समवाय (system) बना देते हैं जो कुछ असमानताओं को तो कम करते देता है जबकि अन्य को कायम रखता है।

17.4.1 नागरिकता की पुनर्परिभाषा : उदारवादी नागरिकता–संबंधी मार्क्सवादी आलोचना

नागरिकता का 1840 के दशक में कार्ल मार्क्स द्वारा 'अमेरिकी व फ्रांसीसी क्रांतियों के संविधान' संबंधी उनके विश्लेषण में साफतौर पर खाका खींचा गया, जिससे आधुनिक नागरिकता का जन्म हुआ। आधुनिक लोकतांत्रिक अथवा बूर्जुआ नागरिकता हेतु मार्क्स का विरुद्ध–तर्क उसके शब्दों में देखा जा सकता है, जो नीचे प्रस्तुत हैं :

जन्म, पद, शिक्षा व व्यवसाय उन जन्म, पद, शिक्षा व व्यवसाय पर आधारित भिन्नताओं को राज्य अपने ही तरीके से समाप्त करता है, जब वह गैर–राजनीतिक भिन्नताएँ घोषित कर देता है, जब वह यह उद्घोषित करता है कि हर लोक–समूह इन भिन्नताओं पर ध्यान दिए बगैर जन–संप्रभुता में एकसमान रूप से भागीदार है, जब वह उन सभी तत्त्वों को, जो जन–साधारण के वास्तविक जीवन का निर्माण करते हैं, राज्य के दृष्टिकोण से विवेचित करता है। जिस पर भी राज्य उन्हें अपने तरीके से पेश आने व अपनी विशिष्ट प्रकृति का दावा करने हेतु निजी संपत्ति, शिक्षा व व्यवसाय को स्वीकार करता है। इन तथ्यात्मक भिन्नताओं को समाप्त करने के अतिरिक्त, राज्य अस्तित्व बनाये रखने के लिए उन्हें पहले से ही मानकर चलता है, यथा निजी संपत्ति, शिक्षा व व्यवसाय। (उसकी अर्ली राइटिंग्स, हरमण्ड्सवर्थ, पैंग्युइन, 1975, पृ. 219 में 'आन द जूइश क्वैश्चन')

बुर्जुआ नागरिकता संबंधी मार्क्सवादी आलोचना ने इस प्रकार आधुनिक पूँजीवादी समाजों में असमानताओं हेतु स्वयं की असफलता पर ध्यान केन्द्रित किया। एक स्वाभाविक रूप से असमान व्यवस्था में, जो वर्ग–असमानताओं को जन्म देने व कायम रखने पर फलती–फूलती है, अधिकार, मार्क्सवादी समालोचना दृढ़तापूर्वक कहती है, सिर्फ समानता की 'ऊपरी सजावट' मात्र हो सकते हैं। नागरिक व राजनीतिक अधिकार बूर्जुआ क्रांतियों की उपज थे, और विकसित, जैसा कि मार्शल द्वारा अपने ऐतिहासिक विश्लेषण में दर्शाया गया है, पूँजीवाद के साथ–साथ हुए। जबकि इन अधिकारों ने पूँजीवाद के कुछ दुष्प्रभावों को कम किया, उनका अभिप्राय असमानता के तानेबानों को ढाना नहीं था और न ही, इसी कारण, ऐसा कर सके, क्योंकि ये तानेबाने ही पूँजीवादी समाजों को संघटन प्रदान करते थे।

सामाजिक अधिकारों, नागरिकता अधिकारों पर उदारवादी मत के एक सूत्र द्वारा हाल के वर्षों में तीखी आलोचनाओं ने, जो कि मार्शल दर्शाते हैं कि बीसवीं सदी में राज्य से कल्याण–लाभ हेतु जनता के उपांतिक वर्गों की माँगों को पूरा करती विकसित हुई थीं, कुछ वामपंथी लेखकों को अधिकारों का पक्ष लेने को प्रेरित किया। ऐमि बार्थोलोम्यु जैसे विद्वानों

ने यह दर्शाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मार्क्स की 'मानव उद्धार' संबंधी धारणा में 'समष्द्ध व्यक्तित्व' व 'आत्म विकास' संबंधी धारणा मार्क्स की अधिकारों के प्रति वचनबद्धता दर्शाती है। बार्थोलोम्यु का कहना है कि मार्क्स की अधिकारों संबंधी समालोचना मूल रूप से अधिकारों के उस बोध की ओर दिशानिर्देशित है, जो उसे 'मनुष्य का अधिकार' – तथाकथित प्राकृत अधिकारों – के साथ पहचानते हैं जो आदमी को आदमी से और उस व्यापक समुदाय से, जिसका वह एक भाग है, अलग करते हुए 'सीमा–निर्धारकों' के रूप में काम करते हैं। मार्क्स के अनुसार अधिकार 'समष्द्ध व्यक्तित्व' में योगदान देते हैं, यथा उस रचनात्मक व्यक्ति को बनाने में जिसकी प्रयोगक्षमता सर्वाधिक पूरे तौर से अंतर्मन में और समुदाय के साथ सामंजस्य में स्पष्टता अनुभव की जाती है।

17.4.2 नारी–अधिकारवादियों की नागरिकता संबंधी की पुनर्परिभाषा

सभी मोरचों के नारी–अधिकारवादियों ने नागरिकता–सिद्धांत की लिंगभेद–शून्यता व लिंगभेद–अज्ञानता, यथा इनका ध्यान रखने में उसकी विफलता की आलोचना की है : (क) आधुनिक समाजों का पितष्सत्तात्मक स्वभाव, और (ख) वह तरीका जिससे लिंगभेद नागरिकता–अधिकारों तक पहुँच निर्धारित करता है।

नारी–अधिकारवादियों ने बताया है कि नागरिकता संबंधी अधिकांश ऐतिहासिक वैचारिकताएँ महिलाओं के प्रति विद्वेषी रही हैं, या तो उन्हें प्राचीन परंपरा की भाँति नागरिकता से पूरी तरह दूर रखकर, या फिर उन्हें, फ्रांसीसी परंपरा में जैसा होता था, परोक्ष और असमान रूप से नागरिक पत्नियों अथवा नागरिकों (यथा, पुरुष) की सहचरियों के रूप में जोड़कर। कैरोल पेटमैन कहती हैं कि आधुनिक उदारवादी नागरिकता जबकि महिलाओं को पूरी तरह से वर्जित न करते हुए, उन्हें उनकी सामाजिक रूप से उपयोगी जैविक रूप से निर्धारित स्थिति (यथा, उनकी जैविक संरचना एवं संबंधित भूमिकाएँ, नामतः संतानोत्पत्ति एवं पालन–पोषण)। (देखें कैरोल पेटमैन, *द सैक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट*, पॉलिटि प्रैस, कैम्ब्रिज, 1988; गीज़ेला बुक एवं सुज़न जेम्स सं., *बियॉन्ड इक्वालिटि एण्ड डिफरॅन्स*, रूटलिज, लंदन, 1992 में कैरोल पेटमैन, 'इक्वालिटि, डिफरॅन्स सबऑर्डिनेशन द पॅलिटिक्स ऑफ मदरहुड एण्ड विमेन'ज सिटिज़नशिप') इस तरह से समावेशन महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र से बाहर रखते हुए, और उन्हें शिक्षा, सम्पत्ति, नौकरी अवसर आदि, जो लोगों राजनीतिक भागीदारी हेतु आवश्यक वस्तुओं से लैस करते हैं, संसाधनों से दूर रखकर उन्हें माँओं व पत्नियों के रूप में पराधीन भूमिकाओं में बाँट देता है।

नागरिकता सिद्धांत की लिंगभेद–अज्ञानता इतनी व्यापक रही है, नारी–अधिकारवादी जन कहते हैं, कि नागरिकता के क्रम–विकास संबंधी कोई भी विवरण केवल महिलाओं को सामान्य प्रवष्त्ति में मतिभ्रंशों के रूप में हाशियों पर धकेलकर ही अपनी संबंद्धता कायम रख सकता है। अर्सला वोगल इसको नागरिकता–संबंधी मार्शल के विश्लेषण का संदर्भ लेकर स्पष्ट करती हैं। अधिकारों के क्रमिक सामान्यीकरण/सार्वभौमीकरण के रूप में नागरिकता के प्रसार संबंधी मार्शल की 'मुख्य कथा,' वोगल कहती हैं, सिर्फ महिलाओं को ऐतिहासिक असंगतियों के रूप में, यथा ऐसे व्यक्तियों के रूप में जिनकी स्थिति 'विशिष्ट' एवं मुख्य कथा हेतु अप्रासंगिक थी, 'शामिल करके' ही अखण्ड रह सकती थी। (देखें अर्सला वोगल एवं माइकल मोरां सं., *द फ्रन्टियर्स ऑफ सिटिज़नशिप*, सेन्ट मार्टिन प्रैस, न्यूयार्क, 1991, पृ. 58–85 में अर्सला वोगल, 'इज़ सिटिज़नशिप जैण्डर स्पिसिफ़िक')

नारी–अधिकारवादियों ने नागरिकता संबंधी लिंग–विभेदित वैचारीकरण की सिर्फ आलोचना ही नहीं की है, उन्होंने उक्त अवधारणा के विस्तारीकरण हेतु अपील भी की है ताकि इसमें

उन गतिविधियों को शामिल कर सकें जिनको निजी प्रभाव क्षेत्र से सम्बन्धित के रूप में देखा जाता है। यह विचार सिर्फ उन सत्ता–संबंधों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नहीं है जो निजी मामलों (विवाह, परिवार, लैंगिकता) के क्षेत्राधिकार में परिव्याप्त होते हैं, बल्कि निजी कार्यक्षेत्र की गतिविधियों के अवमूल्यन पर प्रश्न करने के लिए भी है। सारा रडिक एवं जाँ एल्स्तें जैसे मातृसत्तावादी, तदनुसार, पुरुष व्यक्तियों एवं लक्षणों पर आधारित नागरिकता को ढा जाना चाहते हैं। वे इसके स्थान पर जीवन के पुरुष (सार्वजनिक) एवं स्त्री (असार्वजनिक) पहलुओं के बीच भेद को इस प्रक्रिया में भंग करते हुए, 'अवधान संबंधी स्त्रीसुलभ नीतिशास्त्र' (feminist ethics of care) यथा प्रेम व दया संबंधी स्त्रियोचित लक्षणों पर आधारित नागरिकता संबंधी एक नयी नैतिक व माननीय अवधारणा विकसित किए जाने की सिफारिश करती हैं।

17.4.3 नागरिकता–संबंधी गाँधीवादी धारणा

नागरिकता संबंधी एक गाँधीवादी धारणा को नागर–गणतंत्रवाद के तत्त्व रखने वाली के रूप में देखा जा सकता है, जिसको 'जन–कल्याण, नागरिक कर्त्तव्य व सक्रिय नागरिकता के प्रति वचनबद्धता, के रूप में पहचाना जाता है। हित समुदाय के प्रति गाँधी में वचनबद्धता, हालाँकि, वैयक्तिक स्वायत्तता में एक समान–रूप से सशक्त आस्था और राज्य सत्ता की दमनकारी प्रयोगक्षमता संबंधी अविश्वास के साथ, यत्र–तत्र बिखरी है। आधुनिक राज्य के दमनकारी प्राधारों संबंधी अविश्वास, जिसमें से काफी कुछ गाँधीजी के दक्षिण अफ्रीका व भारत में औपनिवेशिक शासन के साथ अनुभवों से उद्‌भूत हुए, ने घृणा–प्रदर्शन हेतु व्यक्ति के नैतिक अधिकार के प्रति उनकी वचनबद्धता को इच्छित रूप प्रदान किया। एक अन्यायपूर्ण सरकार का विरोध करना गाँधीजी के 'नागरिकता संबंधी कर्त्तव्यों' का एक महत्त्वपूर्ण अंग था। यह बात 'नागरिक अवज्ञा' के नियमों संबंधी उनके उस प्रतिपादन में स्पष्टतः उजागर हुई है, जो नागरिक विरोधकर्त्ता को स्वैच्छिक रूप से कानून तोड़ते समय और कारावास भोगते समय कुछ आचार–संहिताओं के पालन हेतु बाध्य करता था।

विवेकी (व्यक्ति) नागरिक सक्रिय नागरिकता–संबंधी गाँधीजी की धारणा के केन्द्र में अवस्थित है। यह नागरिक वैसे, 'जन–कल्याण' हेतु वचनबद्धता द्वारा बाधित है। 'जन–कल्याण' संबंधी गाँधीजी की धारणा के मुख्य अवयव हैं : (1) सामाजिक हित व्यक्तिगत हितों से ऊपर हैं; (2) अध्यात्मवाद भौतिकवाद से ऊपर है; (3) समाज के प्रति कर्त्तव्य राज्य की तुलना में वैयक्तिक अधिकारों अथवा समाज के अन्य सदस्यों की तुलना में वैयक्तिक अधिकारों से पहले हैं; (4) उत्पादन के जनाधिकार संबंधी प्रशासन का दायित्व; (5) सर्वोदय अथवा वर्ग, जाति, धर्म, लिंग आदि संबंधी भिन्नताओं को समाप्त कर सभी का उत्थान; (6) श्रम अथवा जीविकोश्रम में विश्वास ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहे; तथा (7) मानव प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए एक न्यायपूर्ण समाज की रचना हेतु नैतिक कर्त्तव्य।

बोध प्रश्न 4

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिए इकाई का अंत देखें।

1) मार्क्सवादियों और नारी–अधिकारवादियों ने नागरिकता की सीमाओं को किस प्रकार पुनर्परिभाषित किया है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) नागरिकता–संबंधी गाँधीवादी धारणा वैयक्तिक स्वायत्तता को सामूहिक कल्याण संबंधी सिद्धांत से किस प्रकार जोड़ती है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17.5 सारांश

नागरिकता, अपने आधुनिक बोध में, उस राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता की ओर संकेत करती है जो वर्तमान भूमण्डलीय प्रसंग में राष्ट्र–राज्य की ओर इशारा करता है। नागरिकता बहरहाल ऐसा स्थल प्रदान करती है, जहाँ अनेकों दृष्टिकोण इसके रूप व वास्तविक अर्थ पर एक दूसरे से होड़ करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, नागर–गणतंत्रवाद ने नागरिकता संबंधी सर्वाधिक प्रभावशाली समझ रूपापित की है। वर्तमान नागरिकता संबंधी प्रमुख बोध उदारवादी परम्परा से हुआ, जो इसे वैयक्तिक अधिकारों की एक शृंखला रखने वाले के रूप में देखती है। सांस्कृतिक बहुवादी व साम्यवादी जन हालाँकि इन अधिकारों को तब तक निरर्थक मानते हैं, जब तक कि वे अधिकार–धारक व्यक्तियों के विशिष्ट प्रसंगों को भी ध्यान में नहीं लेते। मार्क्सवादी व नारी–अधिकारवादी जन अधिकतर नागरिकता को क्रमानुसार वर्ग व लिंगभेद संबंधी उन तानेबानों से उभरा मानते हैं जो दमनकारी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संबंधों को ढाते हैं। नागर–गणतंत्रीय परम्परा के अनुसरण में सोच का एक और सूत्र नागरिकता को एक गतिविधि के मापदण्ड के रूप में उन नागर–गुण व कर्त्तव्यों की अभिव्यक्ति के रूप में देखना पसंद करता है, जो बदले में एक समतावादी समाज/समुदाय का निर्माण करते हैं। नागरिकता संबंधी ये विविध बोध उसे आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों की समझ हेतु एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा बनाते हैं।

17.6 मुख्य शब्द

सक्रिय नागरिकता (Active Citizenship) :'दायित्वपूर्ण' भागीदारी संबंधी एक प्रकार्य के रूप में नागरिकता संबंधी धारणा जो एक गतिविधि–मानदण्ड भी बनने के लिए अपनी निष्क्रिय संपष्क्तार्थ से बढ़कर है। राष्ट्रीय समुदाय हेतु एक नागरिक के सम्बद्धता–भाव के आध ाार पर तदोपरांत दायित्वों व सद्गुणों वाली वो प्रवष्त्तियाँ व विशेषताएँ आती हैं, जो उसे एक 'उत्तम' नागरिक के रूप में विशिष्टता प्रदान करती हैं।

आरोपित क्रम–परम्पराएँ (Ascriptive hierarchies) : एक क्रम–परम्परा या पदानुक्रम असमानता – संबंधी उस पिरामिडीय व्यवस्था– एक सीधे–खड़े रूप संगठित प्राधार – का संकेत करता है, जहाँ शीर्षस्थ शेष पर आधिपत्य रखता है। आरोपित क्रम–परम्परा का अर्थ होगा वे व्यवस्थाएँ जहाँ जन्म संबंधी दशाएँ ही लोगों के पदानुक्रमित संगठन को निर्धारित करेंगी।

नागरिकगण (Citizens) : नागरिक एक राजनीतिक समुदाय के पूर्ण व समान सदस्य होते हैं, जो वर्तमान भूमण्डलीय राजनीतिक प्राधार में राष्ट्र–राज्य का रूप ले लेते हैं।

नागरिकता (Citizenship) : पारस्परिक अधिकारों, कर्त्तव्यों व दायित्वों पर आधारित व्यक्ति/समुदायों व राज्य के बीच एक संबंध।

जन–कल्याण (Common Good) : जन–कल्याण यानी आम भलाई की धारणा इस आदर्श–वाक्य पर आधारित है कि वैयक्तिक हितों के बीच अनेकों भिन्नताएँ हो सकती हैं। परन्तु इनसे परे कुछ बुनियादी मुद्दों पर एक सहमति भी अन्तर्निहित है, जिनको आमतौर सभी के हित व कल्याण को प्रोत्साहन देने के रूप में देखा जाता है। तदनुसार, यह कहा जा सकता है कि वैयक्तिक हितों से परे, एक वास्तविक हित का अस्तित्व है जो सभी की इच्छापूर्ति करता है और जहाँ सभी निजी हितों की पूर्ति देखी जाती है। यह पूर्ति–बिन्दु ही जन–कल्याण की धारणा है।

समुदाय (Community) : जन–साधारण अथवा सामाजिक वर्गों का एक समूह जिसे साहचर्य, निष्ठा–कर्त्तव्य संबंधी बन्धनों पर आधारित एक सशक्त सामूहिक पहचान के साथ–साथ भाव–बंधन व नातेदारी द्वारा भी पहचाना जाता है।

विभेदीकृत नागरिकता (Differentiated Citizenship) : यह अवधारणा न सिर्फ व्यक्तियों के रूप में, बल्कि समुदाय के सदस्यों के रूप में भी कुछ (सांस्कृतिक) समूहों के सदस्यों के समावेशन का समर्थन करती है, उनकी अधिकार उनके विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अंशतः इस समूह की सदस्यता पर निर्भर करते हैं।

लिंगभेद (Gender) : लिंग से भिन्न, जो जैविक भिन्नता की ओर इशारा करता है, लिंगभेद पुरुष व स्त्रियों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक विशिष्टता की ओर संकेत करता है। नारी–अधिकारवादियों

के अनुसार, लिंगभेद पक्षपात तब होते हैं, जब महिलाओं के लिए जैविक भिन्नताएँ भिन्न, परतंत्र व वश्य (subservient) सामाजिक भूमिकाओं व पदों हेतु आधार बन जाती हैं।

भूमण्डलीकरण (Globalisation) : यह स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं, प्रक्रियाओं व निर्णयों के बीच अर्न्तसम्बन्धों/अन्योन्याश्रय के उस जाल की ओर संकेत करता है जो विश्व भर में व्यक्तियों कि जीवन को अनुकूल बनाता है।

निष्क्रिय नागरिकता (Passive Citizenship) : सांस्कृतिक/भावनात्मक पहचान की बजाय एक राजनीतिक समाधिकार महत्त्व, राजनीतिक अनुषक्तियाँ व नागरिक निष्ठाएँ। नागरिकता को बहुधा इस अनुषक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो नागरिकों के रूप में एक साझा पहचान में लोगों को एक साथ रखती है।

प्रजाति (Race) : एक वैज्ञानिक व राजनीतिक रूप से विवादास्पद श्रेणी, प्रजाति उन जैविक (वंशानुगत) भिन्नताओं की ओर इशारा करती है जो लोगों के एक समूह को दूसरे से तथाकथित रूप से अलग दर्शाती हैं। काफी लम्बे समय से, प्रजाति को लोगों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा कुछ की सभ्यता संबंधी हीनता व पिछड़ेपन और दूसरों की श्रेष्ठता संबंधी आरोपण को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है।

17.7 कुछ उपयोगी संदर्भ

जे. एम. बारबलेट, सिटिज़नशिप, ओपन यूनिवर्सिटी प्रैस, मिल्टने क्रीन्स, 1988

डॉन ऑलिवर एवं डेरेक हीटर, द फाउण्डेशन ऑफ सिटिज़नशिप, हार्वेस्टर व्हीटशीफ, 1994

कैरोल पेटमैन, 'इक्वॅलिटि, डिफरॅन्स, सब–ऑर्डिनेशन : द पॉलिटिक्स ऑफ़ मदरहुड एण्ड विमन'ज़ सिटिज़नशिप' – जीसला बुक एवं सुसैन जेम्स सं., बियॉण्ड इक्वॉलिटि एण्ड डिफरॅन्स, रूटलिज, लंदन, 1992

17.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) देखें भाग 17.1
2) देखें भाग 17.1 और खासकर, उपभाग 17.1.2

बोध प्रश्न 2

1) देखें उपभाग 17.1.2 और भाग 17.2
2) देखें उपभाग 17.2.4 – 17.2.6

बोध प्रश्न 3

1) देखें भाग 17.3

बोध प्रश्न 4

1) देखें उपभाग 17.4.1 और 17.4.2
2) देखें भाग 17.4.3